



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 34633 वर्ष 2025

धीरज साव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : ओम प्रकाश सिंह, संजय कुमार यादव

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार यादव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता श्री याज्ञवल्क्य पांडेय को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह वर्तमान जमानत अर्जी आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि उसे आपराधिक मामला संख्या 457/2025 में, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/20 के तहत, पुलिस थाना- मुगलसराय, जिला चंदौली में जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि 32 किलो 970 ग्राम गांजा, आवेदक और सह-आरोपी राहुल कुमार के संयुक्त कब्जे से बरामद होने का आरोप है। वास्तव में, आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई थी। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि इस बरामदगी का समर्थन किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए इस अपराध में उसके झूठे फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 1985 अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रहा है। यह भी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तर्क दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे अनावश्यक रूप से परेशान करने तथा उसे पीड़ित बनाने के उद्देश्य से इस अपराध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 14.09.2025 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता. ने आवेदक की जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक की बेगुनाही का फैसला मुकदमे से पहले की अवस्था में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में शामिल है; इसलिए, आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा।

कानून की यह एक स्थापित स्थिति है कि जमानत एक नियम है और जेल भेजना एक अपवाद है। राजस्थान राज्य बनाम बालचंद @ बलिया (1977) 4 एससीसी 308 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि जमानत देने से इनकार करना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है। न्यायालय ने पैरा 2 में यह राय व्यक्त की: "मूल नियम को शायद संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है: जमानत, न कि जेल; सिवाय उन परिस्थितियों के, जहाँ यह संकेत मिलता हो कि याचिकाकर्ता (जो न्यायालय से जमानत पर रिहाई चाहता है) न्याय से भाग सकता है, या न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है, या अपराधों को दोहराने अथवा गवाहों को डराने-धमकाने जैसे अन्य प्रकार के व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। हमारा उद्देश्य इस सूची को पूर्ण बनाना नहीं है, बल्कि केवल उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना है।" मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, और गुडिकांति नरसिम्हलु और अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (एआईआर 1978 एससी 429) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए; साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को, आरोपों की प्रकृति को, उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति को, दोषसिद्धि की स्थिति में मिलने वाले दंड की गंभीरता को, आरोपी-आवेदक के चरित्र को, आरोपी से जुड़ी विशिष्ट परिस्थितियों

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को, विचारण (trial) के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित होने की उचित संभावना को, गवाहों के साथ छेड़छाड़ होने की उचित आशंका को, जनता/राज्य के व्यापक हित को, और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए—किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना—मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि यह ज़मानत प्रदान किए जाने हेतु एक उपयुक्त मामला है।

मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध-मामले में शामिल अभियुक्त-आवेदक धीरज साव को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए :-

1. आवेदक, जाँच या विचारण के दौरान, गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, पूरी ईमानदारी से मुकदमे में सहयोग करेगा।
3. जमानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा। आवेदक और ज़मानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की संबंधित न्यायालय द्वारा, ज़मानत-पत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, पुष्टि की जाएगी।

न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

16 जनवरी, 2026